क्रम संख्या–181

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 346 / XXXVI(3) / 2016 / 55(1) / 2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2016)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955 उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 2016 है।
(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
(3)यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 2 (ककक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

"(क–2)" मल्टीप्लैक्स से वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से युक्त एक ही परिसर के भीतर दो या दो से अधिक सिनेमाहॉलों के समूह या समुच्चय अभिप्रेत है ।

धारा 13 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 13(2)(कक) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"शमन प्रभार पाँच लाख रूपये से अधिक नहीं होगा, जिसकी अदायगी करने पर धारा 10 के अधीन ऐसे नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान की जा सकेगी जो चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थान या भवन से संबंधित है।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य में चलचित्रों से सम्बन्धित मामलों के शमन प्रभार के संबंध में वर्तमान में उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 उत्तराखण्ड में लागू है।

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) में अधिरोपित शमन प्रभार की अधिकतम राशि ₹ 50000.00 (रूपये पचास हजार) मात्र निर्धारित है, जो कि वर्तमान में अत्यधिक न्यून है। इस संबंध में सम्यक रूप से विचार कर इस राशि को ₹ 500000.00 (रूपये पाँच लाख मात्र) तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

2– विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश
वित्त मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 विधायी/587–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।